



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.09.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व 17600/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में 04 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व 17600/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-143/22 व 100/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त शिव सिंह पुत्र रामआसरे निवासी अमलोर थाना पैलानी जनपद बांदा को 01 वर्ष 05 माह के कारावास कुल 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना पैलानी पर पंजीकृत एनसीआर-120/20 धारा 323/504 भादवि के 04 अभियुक्तों 1- अजय पाल, 2- छत्रपाल, 3- चन्दू पुत्रगण भोला यादव व 4- शिवमोहन पुत्र चन्दू यादव निवासीगण कुकुवाखास थाना पैलानी जनपद बांदा को कुल 1600/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बबेरु पर पंजीकृत अभियोग 323/09 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 के अभियुक्त मुन्नु लाल उर्फ मुन्नालाल पुत्र जागेश्वर निवासी बड़ागांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 10000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।